सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

1398. प्रथम तल. चाँदनी चौक.

नोलामी

दिल्ली-110006, दूरभाषः 011.23832226 शेष्ट - ${
m IV}$ - ${
m A}$ [नियम 9(1) का प्रावधान देखें| अयल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सुपना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानतीं(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधके/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भैतिक/सांकेतिक कब्जा **सेन्टल बँक ऑफ इंडिया**, प्रतिभृत लेनदार के अधिकत

प्रार्ध	बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भैतिक/सांकेतिक कब्जा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया , प्रतिभूत लेनदार के अधिकृ प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बकाये की वसूली हे उसकी बिक्री 28.03.2023 को "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर की जायेगी। आरक्षि								ऑनलाईन पद्धित का प्रयोग करते हुए ईएमडी राशि अंतरित करना होगा। यदि ईएमडी राशि ग्लोबल ईएमडी बैलेट में उपलब्ध नहीं होता है तो सिस्टम में बोली की अनुमति नहीं दी जायेगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जाँच तथा
मूल्य तथा जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सम्बद्ध सम्पत्तियों के विवरणों के सम्मुख प्रदर्शित है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया www.centralbankofindia.co.in अथवा https://ibapi.in में प्रावधानित लिंक देखें।							र्वे	बैलेट में ईएमडी का अंतरण नीलामी से पूर्व अग्रिम में किया जायेगा। बोलीदाता एक या सभी सम्पत्तियों के लिए अपनी	
<u>-</u>				जाने वाली सम्पत्तियों का विवर		-	रू. लाख में आरक्षित मूल्य		बोली दे सकते हैं। उनके बैलेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही इच्छुक बोलीदाता नीलामी की तिथि को बोली करने के
郊. स.	शाखा का नाम अर्थला	अधिकृत प्राधिकारी/शा.प्र. श्री अशोक	खाते का नाम चंदर कली	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी का नाम फ्लैट नं. एसएफ-2, एलआईजी, दूसरी	बकाया राशि (रू. लाख में)	कब्जे. की तिथि एवं प्रकार 21.07.2022	आरक्षित मृल्य ईएमडी संविदा वृद्धि ₹ 8.50		लिए योग्य होंगे। बोलीदाता के ग्लोबल बैलेट में बोली के समय में पर्याप्त शेष (>= ईएमडी राशि) होनी चाहिए। सबसे अधिक सम्पत्ति के लिए प्रस्तावों के मामले में बोलीदाता को प्रत्येक सम्पत्ति के लिये ईएमडी जमा करना होगा।
1.	अथला गाज़ियाबाद	मंगल	घदर कला	मंजिल, पीछे की ओर, प्लॉट नं. ए-2/15, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी	20.09.2021 रू.8.90 लाख	(भौतिक	र _{0.50} लाख ₹ 0.85	(2	
		मोबाइलः 9873303102		जिला गाजियाबाद, उ०प्र० (क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मीटर)	+ अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/	कब्जा)	र 0.05 लाख ₹ 0.10	_	(https://www.mstcecommerce.com) से चालान निर्माण के बाद ऑनलाईन किया जायेगा। एनईएफटी
	· ·	<u>ـنـ ۵-</u>	- 	मालिक-चन्दर कली	पुनर्भुगतान	04.00.0000	लाख	4	अंतरण किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ही किया जा सकता है। चेक जैसे किसी अन्य पद्धति से ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपने बैलेंस में वांछित ईएमडी का भुगतान नहीं करने वाले बोलीदाताओं को
2.	दरियागंज नई दिल्ली	श्री संतोष अग्रवाल	अमित कुमार ्एवं	फ्लैट नं. 301, दूसरी मंजिल, सामने की ओर, एमआईजी, दीप अपार्टमेंट्स-VI	10.04.2019 रू.15.76 लाख	04.06.2022 (भौतिक	₹ 18.00 लाख		स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा उन्हें ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जमा की गई धरोहर राशि
		मोबाइलः 8800013511	आनंद कुमार श्रीवास्तव	प्लॉट नं. ए-4/18, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उ०प्र0-201102. (क्षेत्रफल 750 वर्ग	+ अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/	कब्जा)	₹ 1.80 लाख	4	पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। असफल बोलीदाता की ईएमडी बिना किसी ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी।
	<u> </u>	A-	- 1 V.	फीट) मालिक - अमित कुमार।	पुनर्भुगतान	00 00 0000	₹ 0.20 लाख	(3	
3.	दरियागंज नई दिल्ली	श्री संतोष अग्रवाल	धर्मेन्द्र सिंह	प्लॉट नंबर डी-5/3, प्राईवेट फ्लैट नंबर-104, ऊपरी भूतल, पीछे की ओर,	30.10.2021 रू.22.78 लाख	23.03.2022 (भौतिक	₹ 16.00 लाख		एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी जिसका पंजीकृत कार्यालय हैः 225-सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकता-700020, इच्छुक बोलीदाता क्रेता को ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाईट
		मोबाइलः 8800013511		डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उ०प्र० (क्षेत्रफल 600 वर्ग	+ अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/	कब्जा)	₹ 1.60 लाख		https://www.mstcecommerce.com पर ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना होगा। इस सेवा प्रदाता द्वारा
			,	फीट) मालिक-धर्मेन्द्र सिंह	पुनर्भुगतान		₹ 0.20 लाख	4	पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाईन डेमोनस्टेशन/प्रशिक्षण भी दी जायेगी। बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से
4.	इन्दिरापुरम गाज़ियाबाद	श्री अशोक मंगल	मनोज कुमार एवं	आवासीय बिल्डर फ्लैट नं. एसएफ-1 (एमआईजी) सामने की ओर, छत के	18.09.2021 रू.32.83 लाख	04.12.2021 (भौतिक	₹ 17.60 लाख		शामिल बिक्री सूचना बैंक की वेबसाईट्स/ वेबपेज पोर्टलः https://www.centralbankofindia.co.in, https://ibapi.in तथा https://www.mstcecommerce.com पर भी उपलब्ध है। ई-नीलामी के
		मोबाइलः 9873303102	सरोज	अधिकार के साथ, प्लॉट नं. एमएम-40, डीएलएफ अंकुर विहार गाँव लोनी तहसील एवं जिला-गाजियाबाद-201005. (क्षेत्रफल	+ अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/	कब्जा)	₹ 1.76 लाख		इच्छुक भागीदार बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तो, ई-नीलामी से सम्बन्धित ई-नीलामी के प्रचालनात्मक
		8800013517		65.03 वर्ग मीटर) मालिक- मनोज कुमार	पुनर्भुगतान		₹ 0.20 लाख	4	भाग पर हेल्प मैन्युअल की प्रतियाँ e – bक्रय IBAPI पोर्टल (https://ibapi.in) से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते
5.	इन्दिरापुरम गाज़ियाबाद	श्री अशोक मंगल	रमेश कुमार, बिमला एवं	एसएफ 4 - एमआईजी, दूसरी मंजिल सामने की ओर छत के अधिकार के साथ, प्लॉट नं.	01.07.2021 रू.17.25 लाख	09.09.2021 (भौतिक	₹ 16.50 लाख],	है।
		मोबाइलः 9873303102	सिलकराम	एफ 33, एसएलएफ वेद विहार, हदबस्त ग्राम सादुलाबाद परगना लोनी डासना तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ०प्र०।	+ अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/	कब्जा)	₹ 1.65 लाख	_ `	4) जमा की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य के बराबर या उसके ऊपर होगी तथा ई-नीलामी के दौरान बोलीदाता को कोट की गई अंतिम बोली से ऊपर तथा अधिक तथा बोलीदाता की अंतिम उच्च बोली के लिए ऊपर तालिका में दी गई
		8800013517		तहसाल एव जिला गाजियाबाद, उ०प्रण क्षेत्रफल 65.03 वर्ग मीटर मालिक- रमेश कुमार।	पुनर्भुगतान		₹ 0.20 लाख		बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि द्वारा इंटरसे बिडिंग में उच्च बोली के प्रस्ताव की अनुमति होगी। सम्पत्ति को अधोहस्ताक्षरी
6.	करोलबाग	एस के पाण्डेय	अमनदीप सिंह	ई-46-ए, छत के अधिकार के साथ तीसरी	07.07.2021	27.05.2022	₹ 19.50		द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य से नीचे कोट की गई बोली निरस्त कर दी
	नई दिल्ली	मोबाइलः 9999917126	परहार	मंजिल, (सामने की ओर का भाग), खसरा नं.105/1, विश्वास पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059.	रू.12.45 लाख + अन्य प्रभार	(भौतिक कब्जा)	लाख ₹ 1.95	1	जायेगी। बोलीदाता सार्वजनिक बिक्री सूचना / बिक्री के नियमों एवं शर्तो में निर्दिष्ट राशि के गुणकों में अपनी बोली में वृद्धि कर सकते हैं। अंतिम दस मिनटों में बोली की प्राप्ति के मामले में 10 मिनट का असीमित विस्तार दिया जायेगा।
				क्षेत्रफल 50.16 वर्ग मीटर मा लक- अमनवीप सिंह परहार	प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान		लाख ₹ 0.20	1	सम्सेसिव उच्च बोली कोट करने के लिए बोलीदाता को दस मिनटों का समय दिया जायेगा तथा यदि दस मिनटों की
7.	करोलबाग	एस के पाण्डेय	लक्ष्य	एच 60/8, जय प्रकाश नगर,	01.06.2019	02.03.2020	लाख ₹ 52.00		समाप्ति के बाद किसी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली प्रस्तुत नहीं की जाती है तो ई-नीलामी बंद कर दी जायेगी।
	नई दिल्ली	मोबाइलः 9999917126	ट्रेडर्स	घोण्डा, शाहदरा, दिल्ली-110053 क्षेत्रफल 58 वर्ग गज।	रू.60.00 लाख + अन्य प्रभार	(भौतिक	लाख ₹ 5.20	(5	5) ईच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तो, ई-नीलामी के प्रचालनात्मक भाग पर सहायता मैन्युअल का उपयुक्त रूप से अध्ययन कर लें तथा पूरी तरह से उसका पालन करें।
				मालिक- श्रीमती ममता कुमारी	प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	कब्जा)	लाख ₹ 0.52	(6	
8.	सब्जी मण्डी	श्री गौरव	राज कुमार	भूतल, प्लॉट नं.69 पर निर्मित, खसरा नं.	29.04.2015	24.05.2017	लाख ₹ 4.35	+	वे हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता (https://www.mstcecommerce.com) के प्राधिकृत प्रतिनिधि से सम्पर्क
	दिल्ली	कुमार/ श्री एम.पी	एवं गुडडन	12 का हिस्सा, शताब्दीपुरम कॉलोनी, ग्राम-डासना, गाज़ियाबाद, उ०प्र० में स्थित	रू.8.20 लाख + अन्य प्रभार	(भौतिक कब्जा)	लाख ₹ 0.44	- 	करें जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है।
		सिंह मोबाइलः	340,	है। क्षेत्रफल-290 वर्ग फीट	प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान	कञ्गा)	लाख ₹ 0.10	(7	7) प्रिधकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी के निर्धारण के बाद केवल सफल बोलीदाता को ही हमारे ऊपर वर्णित सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ई-मेल द्वारा (उनके द्वारा दी गई /सेवा प्रदाता के पास पंजीकृत मोबाइल नं./ई-मेल पते पर) इसकी
9.	वसुन्धरा	7983066544 श्री अशोक	अनीता शर्मा	मालिक- राज कुमार। आवासीय बिल्डर फ्लैट, खसरा नं. 380 के	28.09.2020	16.11.2021	लाख ₹ 11.97	\cdot	सूचना दी जायेगी।
	गाज़ियाबाद	मंगल मोबाइलः		हिस्से पर चार मंजिला इमारत में से, भूतल बिना छत के अधिकार के, ग्राम्-इंदरगढ़ी	रू.21.30 लाख	(भौतिक	लाख ₹ 1.20	(8	, vi
		9873303102		परगना डासना, ब्लॉक-सी के पास, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, उ०प्र०-२०१००१	+ अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/	कब्जा)	लाख ₹ 0.15		ग्लोबल ईएमडी वालेट में जमा की जानी है (https://www.mstcecommerce.com) से चालान के सृजन के बाद) जमा की गई ईएमडी राशि को घटाकर 25% (पच्चीस प्रतिशत) बोली राशि का भुगतान करना होगा तथा शेष
				क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर। मालिक- अनीता शर्मा	पुनर्भुगतान		लाख		राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। निर्धारित समय में उपरोक्त राशि के
10.	वसुन्धरा गाज़ियाबाद	श्री अशोक मंगल	जगत सिंह एवं	आवासीय फ्लैट 198-सी, तीसरी मंजिल,	23.07.2020 रू.12.83 लाख	20.12.2021 (भौतिक	₹ 8.63 लाख		भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक के लिये जब्त कर ली जायेगी तथा प्राधिकृत
		मोबाइलः 9873303102	ललिता देवी	कामना, वैशाली, गाजियाबाद, उ०प्र० क्षेत्रफल 28.74 वर्ग मीटर	+ अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/	कब्जा)	₹ 0.86 लाख		अधिकारी नई नीलामी / सम्पत्ति की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा चूक करने वाले क्रेता का जब्त की गई राशि तथा सम्पत्ति पर कोई दावा नहीं होगा।
				नातिक- ललिता देवी पत्नी जगत सिंह	प्रयाज्य कटातिया/ पुनर्भुगतान		₹ 0.10 लाख	(9	
11.	वसुन्धरा	श्री अशोक	पुष्पेन्दर	दूसरी मंजिल फ्लैट, एसएफ-4, चार मंजिला	09.07.2018	28.10.2020	₹ 8.10	1	एवं/अथवा निर्धारित समय में शेष 75% बोली राशि के भुगतान में चूक करने पर बिड किसी सूचना के बोली स्वतः
	गाज़ियाबाद	मगल मोबाइलः	कुमार	ईमारत में से, प्लॉट नं.बी-5/1, डीएलएफ अंकुर विहार, शिव वाटिका मंदिर के पास	रू.14.09 लाख + अन्य प्रभार	(भौतिक कब्जा)	लाख ₹ 0.81	+	रद्द हो जायेगी। सफल बोलीदाता द्वारा प्रदत्त ईएमडी तथा अन्य कोई राशि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर
		9873303102		लोनी गाजियाबाद, उ०प्र०. क्षेत्रफल 37.16	प्रयोज्य कटौतियां/	,	लाख ₹ 0.10	1,1	ली जायेगी। 10) सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री राशि का भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-आईए के अंतर्गत
12	वसुन्धरा	श्री अशोक	शिव शंकर	वर्ग मीटर। मालिक- पुष्पेन्द्र कुमार। आवासीय बिल्डर एमआईजी फ्लैट, एफ-2,	पुनर्भुगतान 20.10.2021	01.06.2022	लाख ₹ 10.31	'`ا	टीडीएस के अधीन होगा तथा सफल बोलीदाता को शेष 75% बोली राशि के भुगतान के समय में ही टीडीएस का
	गाज़ियाबाद	मंगल मंगल मोबाइलः	राज्य द्राच/र	पहली मंजिल, बिना छत के अधिकार के, 2 मंजिला इमारत में से, प्लॉट नं.272, 273,	रू.7.97 लाख	(भौतिक	र 10.31 लाख ₹ 1.03		भुगतान करना होगा।
		9873303102		एवं 274, गली नं.6, बालाजी एन्क्लेव, हदबस्त ग्राम-रहीसपुर, परगना-डासना,	+ अन्य प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/	कब्जा)	लाख](1	11) सम्पूर्ण विक्री राशि की प्राप्ति पर प्राधिकृत अधिकारी नियमों के अनुसार विक्री प्रमाण पत्र जारी करेंगे। केता को विक्री प्रमाणपत्र, पंजीकरण शुल्कों, सरकार/किसी अन्य प्राधिकरण को देय सभी सांविधिक देयताओं, करों, जीएसटी तथा
				तहसील एवं जिला गाजियाबाद। क्षेत्रफल 50 वर्ग मीटर। मालिक- शिव शंकर।	पुनर्भुगतान		₹ 0.15 लाख		प्रमाणपत्र, पंजाकरण शुल्का, सरकार/किसा अन्य प्राधिकरण का दय सभा साविधक दयताआ, करा, जाएसटा तथा रेस्ट्रस, सम्पत्तियों से संबंधित वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए सहित सटॉम्प शुल्कों का वहन करना होगा।
13.	वसुन्धरा गाजियाबाद	श्री अशोक मंगल	विशाल कुमार	आवासीय फ्लैट, पहली मंजिल, (छत के अधिकार के बिना), खसरा नं.380 पर रूद्र	02.09.2020	20.12.2021	₹ 12.95 लाख	(1	12) बिक्री प्रमाणपत्र में बोली में वर्णित नामों के अतिरिक्त किसी अन्य नामों को शामिल /सब्स्टीट्यूट करने के लिए किसी
	ગાળવાથાવ	मगल मोबाइलः 9873303102	शर्मा एवं प्रेमलता शर्मा	निवास का हिस्सा, इंदरगढ़ी, गाँव एवं परगना डासना, गाज़ियाबाद.	रू.18.78 लाख + अन्य प्रभार	(भौतिक कब्जा)	₹ 1.30		अनुरोध पर विचार नहीं की जायेगी। बिक्री प्रमाणपत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही जारी की जायेगी। 13) बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के विरूद्ध डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य कोर्ट द्वारा पारित किसी
		55, 5000 TUE		क्षेत्रफल ७० वर्ग मीटर। मालिक- विशाल कुमार शर्मा एवं	प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान		लाख ₹ 0.15	┛`	13) बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के विरूद्ध डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य कोर्ट द्वारा पारित किसी स्थगन/इंजक्शन/प्रतिबंध के प्रचालन लिम्बत रहने के दौरान बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं की जायेगी। आगे, इस अविध
14.	नांगलोई	श्री नितेश	श्रीमती	प्रेमलता शर्मा । प्रथम तल आवासीय फ्लैट (छताधिकारों के	14.10.2021	29.08.2022	लाख ₹ 16.40		के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दी जायेगी। बिक्री प्रमाणपत्र का निष्पादन लम्बित रहने के दौरान
	नई दिल्ली	जैन मोबाइलः	सुलोचनना देवी	बिना), पीछे की ओर का भाग जो अवस्तंभ तल में 1 कवर्ड कार पार्किंग के साथ है, जो	रू.14.15 लाख	(भौतिक	लाख		सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि गैर-ब्याज वाली जमा खाता में रखी जायेगी। बिक्री के आंशिक अथवा
		8800013527	एवं श्रीमती सविता	सम्पत्ति सं. डी-11 के भाग पर निर्मित, खसरा सं.336/2 में से, ग्राम बिंदापुर, सुभाष	+ ब्याज + प्रभार प्रयोज्य कटौतियां/	कब्जा)	₹ 1.64 लाख		सम्पूर्ण/निरसन की स्थिति में जमा की गई राशि की वापसी के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं की जायेगी। डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही की स्थगन की स्थिति में
			रानी	पाके, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 450 वर्ग फूट	पुनर्भुगतान		₹ 0.17 लाख		नीलामी को डेफर्ड या निरस्त कर दी जायेगी तथा बिक्री में भाग लेने वाले व्यक्तियों का इस निलम्बन अथवा निरसन के
				(41.09 वर्ग मीटर) 50 वर्ग गज है, जो भूखंड क्षेत्रफल 100 वर्ग गज में से है। (मालक- श्री नितीश गप्ता पत्र श्री राकेश					लिये क्षतियों, क्षतिपूर्ति, अथवा लागत के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
				पुत्रक वात्रकरा १०० पर्न गांच स है। (भालिक- श्री नितीश गुप्ता पुत्र श्री राकेश कुमार एवं श्रीमती सुलोचना देवी पत्नी श्री राकेश कुमार)				(1	14) प्राधिकृत अधिकारी/ बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के तथा यदि पूर्व के बोलीदाता निष्पादन करने में विफल होते हैं तो निष्पादन करने के लिए अगले उच्च बोलीदाता को आमंत्रित करने सिहत बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली
15.	राजापुरी नई दिल्ली	श्रीमती आभा	श्री राजेश	आवासीय मकान की सम्पत्ति सं. एस-221/77, द्वितीय तल, छत/टेरेस	14.06.2022 रू .21,68,667.52	22.12.2022 (भौतिक	₹ 26.00 लाख		को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित /निलम्बित / रद्द करने / बिक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तों में
	ाइ ।पण्णा	जाना मोबाइलः 8800013552	गुप्ता एवं श्रीमती	अधिकारों के बिना बाई ओर का हिस्सा, खसरा नंबर 20/13 में से, ख्याला गाँव के	रू.21,68,667.52 + ब्याज + प्रभार	(भा।तक कब्जा)	लाख ₹ 2.60 लाख		संशोधन करने का सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है।
			बेबी गुप्ता	क्षेत्र, जिसे अब एस-ब्लॉक कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, गली नंबर1, विष्णु गार्डन,	प्रयोज्य कटौतियां/ पुनर्भुगतान		₹ 0.26		15) इच्छुक क्रेता अपने स्वयं के खर्चे पर उपरोक्त तिथि एवं समय पर सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। बैंक में उपलब्ध टाईटल दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये इच्छुक बोलीदाता 27.03.2023 से पूर्व कार्यावधि के दौरान
				नई दिल्ली-110018 में स्थित है। क्षेत्रफल-67 वर्ग गज (603 वर्ग फुट)			लाख		सेन्द्रल बैंक ऑफ इंडिया से सम्पर्क कर सकते हैं।
				(स्वामिनी- श्रीमती बेबी गुप्ता				1(1	

र्ड-नीलामी की तिथि: 28.03.2023, समय: 12:00 बजे दोपहर से 04:00 बजे साय तक 10 मिनट के स्वतः विस्तार सिहत

कॉलोनी नंगली विहार, नजफगढ नई

दिल्ली-110043 के नाम से ज्ञात नंगली

साकरवती गाँव की राजस्व सम्पदा में स्थित

खसरा नं.18/2 में से प्लॉट नम्बर 64-ए पर

बनी 2 मंजिला इमारत। क्षेत्रफल 50 वर्गगज

पत्नी श्री राजेश गुप्ता)

450 वर्ग फीट। (5'*30')

(मालिक - श्री अरूण कुमार

पुत्र स्व० श्री राम करण सिंह एवं

संविता रानी पत्नी श्री अरूण कुमार)

राजापुरी

नई दिल्ली

श्रीमती

आभा

मोबाइलः

8800013552

श्री अरूण

कुमार एवं

श्रीमती

सविता रानी

ईएमडी तथा दस्तावेज (ऑनलाइन) जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समयः 27.03.2023 को 04:00 बजे अप. तक। संविदाकार वेबसाइट https://www.mstcecommerce.com पर पंजीकरण करेंगे तथा केवाईसी दस्तावेज जमा करेंगे और सेवा प्रदाता द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस/ अन्तरण के माध्यम से ईएमडी ग्लोबल ईएमडी वालेट में जमा की जानी है (https://www.mstcecommerce.com से चालान के सृजन के बाद) । नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता 'https://www.mstcecommerce.com" के माध्यम से संचालित की जायेगी।

ई-नीलामी **"जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है"** आधार पर आयोजित की जायेगी। विस्तृत नियम एवं शर्तो के लिए लेनदार की वेबसाइटः <u>www.centralbankofindia.co.in</u> {https://mstcecommerce.com} में प्रावधानित लिंक देखें। हेल्पलाइन नं.: 033-22901004

सरफेंसी अधिनियम, 2002 के नियम ९(१) के तहत उप वैधानिक 15 दिन की बिक्री सुचना कर्जदार/ जमानतियों/ बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा ई-नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि अदा करने के लिये अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल होने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागतों सहित वसूल किया जायेगा। दिनांकः 05.03.2023 स्थानः दिल्ली

पुर्ण नियम एवं शर्तेः अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री 28.03.2023 (12:00 बजे अप. से 4:00 बजे सायं) को वेबसाईट: https://www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफार्म के द्वारा की जायेगी। इच्छक बोलीदाता/क्रेताओं से अनुरोध है कि अपने मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई डी का उपयोग करते हुए पोर्टल (https://www.mstcauction.com) पर पंजीकरण करायें। पुनः उनसे आग्रह है कि केवाईसी दस्तावेजों को अपलोड करें। ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों की एक बार जाँच कर लेने के बाद (जिसमें 2 कार्य दिवस लग सकता है) इच्छुक बोलीदाता/क्रेता को नीलामी के समय से पूर्व अग्निम में अपने ग्लोबल ईएमडी बैलेट में ऑनलाईन पद्धति का प्रयोग करते हुए ईएमडी राशि अंतरित करना होगा। यदि ईएमडी राशि ग्लोबल ईएमडी बैलेट में उपलब्ध नहीं होता है तो सिस्टम में बोली की अनुमति नहीं दी जायेगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों की जाँच तथा बैलेट में ईएमडी का अंतरण नीलामी से पूर्व अग्निम में किया जायेगा। बोलीदाता एक या सभी सम्पत्तियों के लिए अपनी बोली दे सकते हैं। उनके बैलेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही इच्छुक बोलीदाता नीलामी की तिथि को बोली करने के लिए योग्य होंगे। बोलीदाता के ग्लोबल बैलेट में बोली के समय में पर्याप्त शेष (>= ईएमडी राशि) होनी चाहिए। सबसे अधिक सम्पत्ति के लिए प्रस्तावों के मामले में बोलीदाता को प्रत्येक सम्पत्ति के लिये ईएमडी जमा करना होगा। उपरोक्त धरोहर राशि भूगतान (ईएमडी) राशि का भूगतान बोलीदाता के ग्लोबल ईएमडी बैलेट में एनईएफटी/अंतरण (https://www.mstcecommerce.com) से चालान निर्माण के बाद ऑनलाईन किया जायेगा। एनईएफटी अंतरण किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ही किया जा सकता है। चेक जैसे किसी अन्य पद्धति से ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपने बैलेंस में वांछित ईएमडी का भुगतान नहीं करने वाले बोलीदाताओं को

(16) सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहाँ है", "जो भी जैसा है" तथा "जो कुछ भी वहाँ है" आधार पर की जा रही है तथा इच्छ्क क्रेता अधिकारों तथा बिक्री कर आबकारी/जीएसटी / आयकर विभाग तथा बैंक के प्रभारों जैसे किसी अन्य प्राधिकरण के अधिभारों तथा दावे/अधिकारों/देयताओं/प्रभारों के विषय में सम्बन्धित रजिस्ट्रार/एसआरओ/राजस्व अभिलेखों/अन्य किसी साविधिक प्राधिकरणों से अपने स्वयं के हित में स्वतंत्र पूछताछ एवं जाँच कर लें तथा अपनी बोली जब्त करने से पूर्व सम्पत्ति पर टाईटल के प्रकार, विवरण, विस्तार, गुणवत्ता, मात्रा, स्थिति, अधिभार, लिएन, चार्ज, सांविधिक देयताओं आदि के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। यह ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है तथा उसे ऐसा करता हुआ नहीं माना जायेगा। प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत क्रेडिटर किसी भी रूप में किसी तीसरी पार्टी के दावे/अधिकारों/उपरोक्त को छोड़कर (यदि कोई हो) देयताओं के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। ऑनलाईन बोली जमा करने के बाद किसी के लिये रखी गई सम्पत्ति पर चार्जेज/अधिभारों अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य विषयों आदि से सम्बन्धित किसी भी दावे पर विचार नहीं की जायेगी।

किसी भी बकाये जैसे जल/ सेवा प्रभारों, चार्जेज, अंतरण शुल्कों, बिजली के बकायों, नगर निगम/स्थानीय प्राधिकरण / को-ऑपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी अथवा किसी अन्य देयताओं, करों, लेबीज, शुल्कों, उक्त सम्पत्ति की बिक्री से सम्बन्धित अंतरण शुल्कों, यदि कोई हो, जैसी किसी भी देयताओं के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं लेता है। यह बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन होगी। (18)

यह बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित सम्पत्ति के संदर्भ में कोई भी अनुमति/लाईसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने अथवा

(19) यह बिक्री सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में निर्दिष्ट नियमों/शर्तो/प्रावधानों तथा उपरोक्त शर्तो के अधीन होगा। आगे विवरणों, यदि कोई हो, के लिये संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ टल). चाँदनी चौक.

12.05.2022

(भौतिक

14.10.2021

रू.48.06

+ ब्याज + प्रभार

प्रयोज्य कटौतियां/

पुनर्भुगतान

₹ 29.00

लाख

₹ 2.90

लाख

₹ 0.30